

उत्तर प्रदेश शासन  
कार्यक अनुमान 4  
संख्या-3-इ.एम. - 2012-नं-4-2019  
राज्यपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2019

### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान भी मया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अध्यादेशक संघों का अनुस्थापन अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन शर्तियों तम प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किय जाने के दिनांक से छ मास की अवधि के लिए हस्ताक्षर, निम्नलिखित में निषिद्ध करते हैं:-

- (1) उत्तर प्रदेश राज्य के वर्ग-वर्गीय या सम्यन्धित किसी लोक सेवा,
  - (2) राज्य सरकार के स्वायत्तमान या नियंत्रणीय किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा।
2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निर्देश देते हैं कि यह अधिसूचना, राजपत्र में और राज्य में प्रसार वाले कम से कम दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

आज्ञा से



(डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय)  
मुख्य सचिव।

गदव्यु.०

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-विविध 94 भाग-//2018-19// 5340 /वाणिज्य कर,  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश  
(स्थापना-अराजपत्रित अनुभाग)  
लखनऊ :: दिनांक ०५ फरवरी, 2019

उ०प्र० शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-3-ई०एम/2012-का-4-2019 दिनांक 04 फरवरी,  
2019 की प्रतिलिपि निम्न लिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन द्वारा जारी निर्देशों का  
कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें-

- 1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 2- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर, लखनऊ।
- 3- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर लखनऊ / प्रयागराज ।
- 4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (सर्वोच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद
- 5- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उ०प्र० ।
- 6- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी) वा०क० मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड  
कराने हेतु।

7- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

गुवाबाद/ लखनऊ

05/02/19  
(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

जोशिया